

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (क) (1) के अन्तर्गत पंचायत निकायों/

ग्राम कचहरी के निर्वाचन के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के साथ दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र

.....जिला के..... जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के प्रा०
नि० क्ष० सं० के सदस्य/पंच/ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी के सरपंच का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/पति का नाम -

1. क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थ दण्ड से दंडित किये गये हैं -

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये -

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या -

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति -

(आधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड -

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो -

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि -

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं ?

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण -

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया -

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लम्बित है -

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि -

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण -

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया -

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि -

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें -

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों -

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या -

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित है और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है ? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें :-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है -
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है -
- (iii) अपराध संख्या -
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक -
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण -

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है ? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें :-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है -
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है -
- (iii) अपराध संख्या -
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक -
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण -

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण -

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है :-

(क) अचल सम्पत्ति :-

- (i) कृषि भूमि -
- (ii) शहरी भूमि -
- (iii) भवन -

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति :-

(i) नकद -

(ii) बैंक बैलेन्स -

(बैंक का प्रिन्ट आउट संलग्न करें)

(iii) फिक्स डिपोजिट

(iv) बॉण्ड, शेयर -

(प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

(इसके प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)

(v) वाहन

(vi) आभूषणों का विवरण

(निवंधन की छायाप्रति संलग्न करें)

(पूर्ण विवरण दें)

6 **(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं -
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के. सी. सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें -

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान -

तिथि -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* वित्तीय

* वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/विक्री कर संबंधी बकाया /

नोट : सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाए। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और वह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।